

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
( भू-अर्जन निदेशालय )

घोषणा

संख्या एस0 ओ0.....रा0।

पटना दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मसानखोन, परगना तारसों, थाना-कुशेश्वरस्थान, थाना नं0 218, अंचल-कुशेश्वरस्थान जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-ग्राम भदौल से मसानखोन के बीच सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-मसानखोन के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.22 एकड़ के बराबर होता है, और जिसमें 0.22 एकड़ कृषि योग्य है। ली जानी वाली भूमि का खेसरा नं0-निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा - 714, 718, 720, 721, 725, 726

पूर्ण खेसरा - X

चौहद्दी :-

उ0 -714 पूर्ण

द0 -रास्ता खे0नं0-1197


पू0-719 पूर्ण कब्रिस्तान

प0- अंश खे0सं0-718, 720, 721 एवं 726


यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम, 11,1961 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इनसे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
1.12.12


अमीन,

  
14.12.12

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
दरभंगा।

  
14.12.12

अपर समाहत्ती,  
दरभंगा।


  
14.12.12

समाहत्ती,  
दरभंगा।

अवर सचिव,  
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या-15/डी0एल0ए0 दरभंगा (संपर्क सड़क)-29/2013-628/रा प्रटना-15, दि0- 27-02-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, दरभंगा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।